XIV-Form No. 563.

की क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारी सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय
राजस्व पुनरीक्षण वाद सं0–32/2008
(धारा 21 वी0पी0पी0एच0टी0एक्ट वासगित पर्चा अंतर्गत)

1. देव नारायण महतो,
2. अखिलेश महात
3. लाला महतो
4. बद्री महतो

चारो के पिता–नुनू लाल महतो, सभी सा0–भजनपट्टी, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदकगण।

बनाम

1. बिहार सरकार
2. मसोमात सहोदरी देवी, पति–स्व0 अशरफी महतो, सा0–मधुवन, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ .....विपक्षी।

आ दे श

यह रिविजन वाद विद्वान अंचल अधिकारी, बनमनखी के वासगित पर्चा अभिलेख सं0–47/04–05 में दिनांक 03.09.2004 को पारित आदेश के विरूद्ध भूधारी देवनारायण महतो एवं अन्य के द्वारा दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित, विपक्षी द्वारा भी प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन चन्द्र नारायण यादव व सूर्य नारायण यादव खातियानी रैयत है। जिसका शिकमी खतियान मोही महतो के नाम से दर्ज है। चन्द्र नारायण यादव एवं सूर्य नारायण यादव के उत्तराधिकारी से प्रश्नगत जमीन के साथ लगभग एक एकड़ अड़तालिस डिसमल जमीन दिनांक 06.05.2000 को आवेदकण द्वारा कय किया गया है। जिसका लगान रसीद भुगतान किया जा रहा है। जमाबन्दी भी आवेदक के नाम से चल रहा है। वासगीत पर्चा दो डिसमील जमीन का विपक्षी संख्या 2 को अंचल अमीन एवं कर्मचारी से मिली भगत के आधार पर अंचल अधिकारी, बनमनखी द्वारा बिना किसी जांच का पर्चा निर्गत किया गया है। वासगीत पर्चा अभिलेख में उन्हें सूचना तामिला नहीं करवाया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 का कथन है कि ननकू महतो एवं मोही महतो भू–धारी

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

चन्द्र नारायण यादव एवं सूर्य नारायण यादव के अधीन रिभिजन सर्वे से पूर्व से ही प्रश्नगत जमीन पर रहकर मजदूरी करते थे। रिभिजनल सर्वे में दो डिसीमल जमीन बड़ा भाई रहने के कारण मोही महतो के नाम भू–धारी द्वारा सिक्कमी दर्ज करा दिया गया। कुछ समय वाद मोही महतो द्वारा प्रश्नगत जमीन छोड़कर अन्य स्थान चले जाने के कारण ननकू महतो ही भू–धारी के सहमति से प्रश्नगत जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे। ननकू महतो के मृत्यु के उपरान्त उनका पुत्र अशरफी महतो का मकान मय सहन है। जो प्रतिवादी संख्या 2 के पति हैं।

अंचल अधिकारी, बनमनखी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, बनमनखी ने अपने पत्रांक 25, दिनांक 09.01.2010 के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जिसमें प्रतिवेदित है कि मौजा मधुवन, थाना नं0–12, खाता नं0–453, खेसरा नं0–2090, जमाबन्दी संख्या 174 प्रस्तावित जमीन में पर्चाधारी का कैवाला रजिस्ट्री के पूर्व से ही फुस का घर है। पर्चाधारी दखलकार है। पर्चाधारी को प्रतिवादी खतियानी रैयत से जमीन खरीद कर तंग–तबाह किया करता है। पर्चाधारी प्रश्रयधारी के श्रेणी में आते हैं।

उभर पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनांक 02.08.2010 एवं दिनांक 29.11.2010 को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है।

इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ